[2019] 9 एस. सी. आर 949

शोभा सिंह और उनके बेटे पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर.

(2019 की सिविल अपील No.5534)

15 जुलाई, 2019

[अभय मनोहर सेप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XX, rr. 6 , 6 ए और 7, या। 21 ,

आरआर। 2 , 11 (2) & (3) और या। XXIII, आर. 3 और एसएस। 35 - ए, 151-अपीलकर्ता मकान मालिक डिक्री धारक है और प्रतिवादी निर्णय है। ऋणी-अपीलकर्ता ने मूल प्रतिवादी के पिता को मुकदमा घर दिया-अपीलकर्ता ने 2009 में प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया ताकि उसे मुकदमा घर से बेदखल किया जा सके।

समझौता किया गया मामला-उक्त समझौते के संदर्भ में निपटाया गया मुकदमा-प्रतिवादी ने समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया

अनुमति प्राप्त सूट हाउस को खाली करें-प्रतिवादी ने दूसरा दायर किया सूट हाउस खाली करने के लिए और समय मांगने वाला आवेदन-खारिज

प्रत्यर्थी मुकदमा घर खाली करने में विफल रहा-अपीलार्थी ने दायर किया

सूट हाउस का खाली कब्जा प्राप्त करने के लिए दिनांकित 01.06.2012 के सहमति आदेश के निष्पादन के लिए निष्पादन याचिका

-

मूल किरायेदार प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान प्रत्यर्थी को पीछे छोड़ते हुए निर्णय देनदार की मृत्यु हो गई

सहमति आदेश की निष्पादन क्षमता को अमान्य होने के रूप में चुनौती देने वाले आवेदन-5 लाख रुपये की लागत लगाने वाले निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज-प्रतिवादी द्वारा दायर पहली अपील-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत-आयोजितः उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि औपचारिक डिक्री तैयार नहीं किए जाने या/और दायर नहीं किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी को दिनांकित सहमति आदेश के बल पर निष्पादन याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। 01.06.2012 - आर में सिद्धांत। 6 निर्णय के साथ डिक्री की प्रति संलग्न किए बिना अपील दायर करने और डिक्री तैयार नहीं करने के परिणाम प्रदान करने से संबंधित Or.XX का ए (2) लागू किया जा सकता है।

निष्पादन आवेदन यू/Or.XXI दाखिल करने के लिए भी, आर. 2-निष्पादन आवेदन के साथ डिक्री की प्रति दाखिल करना आवश्यक नहीं है जब तक कि न्यायालय डिक्री धारक को इसकी प्रमाणित प्रति दाखिल करने का निर्देश नहीं देता है।

डिक्री-इस प्रकार, भले ही अपीलार्थी ने प्रमाणित फाइल नहीं किया हो

[2019] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्पादन आवेदन के साथ डिक्री की प्रति इस कारण से कि उसे न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया था, फिर भी अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन बनाए रखने योग्य था-इसके अलावा, सभी प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ तुच्छ थीं और केवल समझौते की डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए उठाई गई थीं, प्रत्यर्थी ने सूट हाउस को खाली करने के लिए दो बार समय लिया और फिर भी दिए गए वचन का पालन नहीं किया-ऐसा आचरण नहीं किया जा सकता है

माना जाता है और निंदनीय है-निष्पादन न्यायालय सही था प्रत्यर्थी द्वारा अपने आवेदनों में उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करना

- निष्पादन न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है-हालांकि, 5 लाख रुपये की लागत अत्यधिक है-उत्तरदाता को भुगतान करना होगा

अपीलार्थी को Rs.50,000/- की प्रतिपूरक लागत-आगे जारी किए गए निर्देश-फरमान।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ "और एक डिक्री पारित करेंगे

तदनुसार "-का अर्थ-चर्चा-सिविल संहिता

प्रक्रिया, 1908-या। XXIII, आर. 3.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XX, आर. 6 ए (2)-गैर-फाइलिंग

डिक्री की प्रमाणित प्रति, क्योंकि डिक्री न्यायालय द्वारा पारित नहीं की गई थी, निष्पादन आवेदन के साथ-प्रभाव-आयोजितः

इस तथ्य के बावजूद कि डिक्री पारित नहीं की गई थी, अभी तक द्वारा

Or.XX में रेखांकित सिद्धांत का गुण, आर. 6 ए (2), दिनांकित सहमति आदेश का प्रभाव वास्तविक तिथि तक एक डिक्री का प्रभाव था

निष्पादन के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करना।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.152-शक्ति का आह्वान करने के लिए शर्तें-चर्चा की गई।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.151 r/w Or.XX, आर. 6 ए-आयोजितः वर्तमान मामले में, जिस न्यायालय ने मुकदमे का निपटारा किया, उसने नहीं किया

डिक्री बनाएँ लेकिन केवल सहमति आदेश पारित किया-ऐसे मामले में, डिक्री धारक को आवेदन दायर करने की आवश्यकता थी s.151 r/w Or.XX, आर. 6 ए के अनुसार एक डिक्री बनाने के लिए न्यायालय को

सहमति आदेश दिनांकित। 01.06.2012 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि औपचारिक डिक्री तैयार नहीं किए जाने या/और दायर नहीं किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी (डिक्री धारक) को निष्पादन सोमा सिंह और सन्स पी. वी. टी. दायर करने का कोई अधिकार नहीं था।

लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) THR.L.R।

दिनांक 01.06.2012 के सहमति आदेश के बल पर याचिका। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

[पैरा 24] [960-डी]

1.2 संहिता का आदेश 20 नियम 6 डिक्री की सामग्री से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि डिक्री से सहमत होगी

निर्णय, इसमें मुकदमे की संख्या, पक्षों के नाम और विवरण, उनके पंजीकृत पते और दावा, दी गई राहत या मुकदमे में किए गए किसी अन्य निर्धारण, मुकदमे में खर्च की गई लागत की राशि, और किसके द्वारा या किस संपत्ति से और किस अनुपात में, भुगतान की जाने वाली लागत का विवरण। नियम 6 ए डिक्री तैयार करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि डिक्री जल्द से जल्द तैयार की जाए और किसी भी मामले में, निर्णय सुनाए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर। संहिता के आदेश 20 के नियम 6 ए (2) में कहा गया है कि एक अपील हो सकती है -

नियम 6 ए (2) में रेखांकित सिद्धांत को आदेश 21 नियम 2 के तहत निष्पादन आवेदन दाखिल करने पर भी लागू किया जा सकता है। कोड। आदेश 20 नियम 7 डिक्री की तारीख से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन फैसला सुनाया गया था और जब न्यायाधीश खुद को संतुष्ट कर लेगा कि डिक्री फैसले के अनुसार तैयार की गई है, तो वह डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा। [पारस 26-28] [963-A-E]

1.3 संहिता का आदेश 21 नियम 11 (2), जो डिक्री के निष्पादन से संबंधित है, प्रदान करता है कि डिक्री धारक केवल

निष्पादन आवेदन में अन्य विवरणों के साथ निर्णय और डिक्री का विवरण देना आवश्यक है [खंड (ए) से (जे) देखें। इसी तरह, संहिता के आदेश 21 नियम 11 (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय डिक्री धारक को एक प्रमाणित [2019] 9 एस. सी. आर. प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

फरमान की प्रति। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निष्पादन आवेदन के साथ डिक्री की एक प्रति दाखिल करना आवश्यक नहीं है जब तक कि अदालत डिक्री धारक को डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने का निर्देश नहीं देती है।

डिक्री। जब भी डिक्री धारक किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसे तीन चीजों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। सबसे पहले, आदेश 21 के तहत दायर लिखित आवेदन

संहिता के नियम 10 और 11 (2) को आवेदक या किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, न्यायालय की संतुष्टि के लिए विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना चाहिए; दूसरा, आवेदन में वे विवरण होने चाहिए, जो संहिता के नियम 11 (2) के खंड (ए) से (जे) में निर्दिष्ट हैं, जिसमें निर्णय और डिक्री की तारीख का उल्लेख शामिल है; और तीसरा, डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करना, यदि न्यायालय डिक्री धारक से संहिता के आदेश 21 नियम 11 (3) के तहत इसे दाखिल करने की अपेक्षा करता है। अपीलार्थी के अनुसार, दिनांक 1 का आदेश स्वयं संहिता की धारा 36 के आधार पर निष्पादित होने में सक्षम है और इसलिए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि डिक्री तैयार करने की आवश्यकता थी। तर्क एक से अधिक कारणों से स्वीकार्य नहीं है। [पारस 29-34] [963-F-H; 964-A-E] 1.4 पहला, संहिता के आदेश 23 नियम 3 की भाषा अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए प्रकृति के आदेश को पारित करने को स्वीकार नहीं करती है; दूसरा, संहिता के आदेश 23 नियम 3 में आने वाली अभिव्यक्ति "अदालत इस तरह के समझौते, समझौते या संतुष्टि को दर्ज करने का आदेश देगी और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगी", स्पष्ट शब्दों में, सुझाव देती है कि समझौता दर्ज करने के बाद आगे एक डिक्री पारित करने के लिए यह आवश्यक है।

उसके अनुसार। दूसरे शब्दों में, "और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा" अभिव्यक्ति एक स्पष्ट संकेत है कि अदालत द्वारा समझौता दर्ज किए जाने के बाद, यह "एक डिक्री पारित करने" के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए, नियम विचार करता है, पहले समझौते की एक आदेश रिकॉर्डिंग और फिर एक साथ आदेश के अनुसार एक डिक्री पारित करता है। संहिता के आदेश 23 नियम 3 की स्पष्ट भाषा के आलोक में, अपीलार्थी के इस कथन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि दिनांकित आदेश स्वयं एक डिक्री के बराबर है और इसलिए, न्यायालय के लिए डिक्री पारित करना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा होता तो

इरादे से, विधायिका ने संहिता के आदेश 23 नियम 3 में "और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगी" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया होगा। [पारस 35-37] [964-E-H; 965-A] शोभा सिंह और बेटे PVT।

लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर.

1.5 निष्पादन न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा अपने आवेदनों में उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करने में सही था और इसलिए, निष्पादन न्यायालय के उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाता है। प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियाँ तुच्छ थीं और केवल समझौते के आदेश के निष्पादन से बचने के उद्देश्य से उठाई गई थीं। सहमति आदेश पारित होने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सका। किसी भी मामले में, द्वारा उठाई गई आपत्तियों में से कोई भी नहीं प्रत्यर्थी के गुण-दोष पर कोई आधार था और इसलिए, निष्पादन न्यायालय द्वारा उन्हें सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी ने सूट हाउस खाली करने के लिए दो बार समय लिया और फिर भी इसका पालन नहीं किया

1.6 भले ही अपीलार्थी ने निष्पादन आवेदन के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रति इस कारण से दाखिल नहीं की कि उसे न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया था, फिर भी अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन बनाए रखने योग्य था। वास्तव में, जब तक औपचारिक डिक्री पारित नहीं की गई थी, तब तक 01.06.2012 दिनांकित आदेश को एक डिक्री के रूप में माना जाना था। संहिता के आदेश 20 नियम 6 ए (2) के आधार पर अंतराल अवधि।

दूसरे शब्दों में, इस तथ्य के बावजूद कि डिक्री पारित नहीं की गई थी, फिर भी आदेश 20 में रेखांकित सिद्धांत के आधार पर

आदेश या आदेश। यह प्रावधान करता है कि निर्णयों, फरमानों या आदेशों में किसी भी लिपिक या अंकगणितीय गलतियों या किसी भी आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न त्रुटियों को न्यायालय द्वारा किसी भी समय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी पक्ष का आवेदन। आदेश 20 नियम 3 भी [2019] 9 एस. सी. आर. प्रदान करता है।

उस निर्णय को धारा 152 के तहत या समीक्षा में बदला या जोड़ा जा सकता है। संहिता की धारा 152 के तहत शक्तियों का उपयोग करने के लिए, दो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। पहला, एक निर्णय या डिक्री या एक आदेश होना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और दूसरा, निर्णय या डिक्री या आदेश, जैसा भी मामला हो, में इसके सुधार के लिए कोई लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि होनी चाहिए। अन्य में

शब्दों में, संहिता की धारा 152 में विचार किया गया है कि न्यायालय ने निर्णय, डिक्री या आदेश पारित किया है और इसमें लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि है। ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के किसी भी पक्ष को, जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 152 के तहत किसी भी समय संबंधित न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। जैसा भी मामला हो, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी भी अंकगणितीय या/और लिपिकीय त्रुटि का सुधार। [पारस 44-47] [966-D-G]

संहिता के आदेश 20 नियम 6ए के साथ पठित धारा 151 के तहत न्यायालय को दिनांकित 01.06.2012 आदेश के अनुसार एक डिक्री तैयार करने के लिए। वास्तव में, दिनांकित 01.06.2018 आदेश के समापन पैरा में कि न्यायालय ने पहले ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि औपचारिकताओं का पालन। अतः ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के लिए यह उचित होता कि वह एक साथ

आदेश 20 नियम 6ए में दिए गए 15 दिनों के भीतर उसी दिन या किसी भी स्थिति में एक डिक्री बनाएँ। यह एक प्रक्रियात्मक मामला होने के कारण, भले ही यह नहीं किया गया हो, फिर भी ऐसा ही न्यायालय द्वारा अपीलार्थी (डिक्री धारक) के कहने पर किया जा सकता है जो निष्पादन आवेदन दाखिल करने के बाद डिक्री तैयार करने के लिए आवेदन करता है। [पारस 48,49] [966-जी-एच; 967-ए-सी] 1.9 हालांकि यह पाया गया है कि यह लागत लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला है लेकिन 5 लाख रुपये की लागत अत्यधिक है। सभी का ध्यान रखें

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू करना उचित और उचित है

1.10 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि निष्पादन याचिका स्वयं विचारणीय नहीं है। उच्च न्यायालय ने हालाँकि अपीलार्थी को शोभा सिंह और सन्स पी. वी. टी. में आवेदन करने का निर्देश देना सही था।

लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर.

एक डिक्री तैयार करने के लिए संबंधित न्यायालय लेकिन उच्च न्यायालय अपीलार्थी को संहिता की धारा 152 के तहत इसे लागू करने का निर्देश देने में सही नहीं था। अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन याचिका है

इसलिए, ऊपर बताए गए दो संशोधनों को छोड़कर प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करके निष्पादन न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी को संहिता के आदेश 20 नियम 6 (ए) के साथ पठित धारा 151 के तहत संबंधित न्यायालय में दिनांकित आदेश के अनुसार डिक्री पारित करने के अनुरोध के साथ आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

01.06.2012 संहिता के आदेश 23 नियम 3 के तहत पारित किया गया। इस मामले की विशिष्ट परिस्थिति में, यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित न्यायालय बिना किसी देरी के और किसी भी मामले में, अपीलार्थी द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने के एक सप्ताह के भीतर डिक्री पारित करता है और निकालता है। डिक्री पारित करने और तैयार करने का ऐसा कार्य औपचारिक प्रकृति का होने के कारण, उस संबंध में कोई आपत्ति या विवाद किसी भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जब डिक्री तैयार हो जाती है और आदेश के तहत दिए गए निष्पादन आवेदन में इसका विवरण निर्दिष्ट किया जाता है।

21 नियम 11 (2) (सी) और डिक्री की प्रमाणित प्रति, यदि न्यायालय द्वारा आवश्यक हो, संहिता के आदेश 21 नियम 11 (3) के संदर्भ में दायर की जाती है, तो लागत राशि के भुगतान के संबंध में उपरोक्त संशोधन के साथ निष्पादन न्यायालय का आदेश प्रतिवादी के खिलाफ प्रभावी होगा। हालाँकि, प्रत्यर्थी को संबंधित न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मुकदमे के घर को खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है।

अपीलार्थी को सूट हाउस का कब्जा सौंपना। [पारस 52-55] [967-F-H; 968-A-D]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5534

2019 का

हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. शांतनम स्वामीनाथन, आनंद सिंह, सुश्री निष्ठा खुराना, कार्तिक मल्होत्रा, श्रीमती आरती राजन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सुरुचि मित्तल, करण कपूर, अभिषेक गौतम, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Ex.F.A में पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 31.10.2018 आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2018 का No.42 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को मंजूरी दी और 2016 के निष्पादन No.5655 में एडीजे-02 और वक्फ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली जिले, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांकित 22.10.2018 आदेश को दरकिनार कर दिया।

3. इस अपील के निपटारे के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जिसमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

4. अपीलार्थी वादी/डिक्री धारक होता है और प्रतिवादी प्रतिवादी/निर्णय देनदार होता है।

5. विवाद निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न होता है और यह सिविल सूट नंबर 369/2009 (नया No.675/2009) से निकलता है जो 01.06.2012 पर तय किया गया है। 6. अपीलार्थी सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली (इसके बाद "सूट हाउस" के रूप में संदर्भित) में स्थित तीसरी मंजिल के साथ एक फ्लैट-जी-81, दूसरी मंजिल का मकान मालिक है।

7. अपीलार्थी ने सूट हाउस को मूल प्रतिवादी स्वर्गीय श्री आर. एल. कपूर के पिता को 1959 में सौंप दिया था। अपीलार्थी, हालाँकि, श्री आर. एल. कपूर को 21.12.2004 पर छोड़ने का नोटिस देकर किरायेदारी का निर्धारण किया। श्री आर. एल. कपूर की मृत्यु 13.07.2007 पर हुई और उन्होंने प्रतिवादी को अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में छोड़ दिया।

8. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 16.01.2009 दिनांकित एक और छोड़ने का नोटिस दिया और उसे सूट हाउस खाली करने के लिए कहा। तब से

प्रत्यर्थी सूट हाउस को खाली करने में विफल रहा, अपीलार्थी को 2009 में एडीजे के न्यायालय में प्रत्यर्थी के खिलाफ सिविल सूट (पुराना No.369/2009 नया नंबर 675/2009) दायर करने के लिए विवश किया गया था ताकि उसे सूट हाउस से बेदखल किया जा सके और उसे काफी लाभ हो सके।

9. प्रतिवादी ने मुकदमे में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद, इसका विरोध नहीं किया और अपीलार्थी के साथ मामले में समझौता किया। यह था।

इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्रत्यर्थी (किरायेदार) 31.05.2016 पर या उससे पहले सूट हाउस का खाली कब्जा अपीलार्थी; भा सिंह और सन्स PVT को सौंप देगा।

लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।]और, प्रतिवादी मुकदमे को सौंपने की तारीख तक शुल्क डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2012 के लिए प्रति माह 5,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

अपीलार्थी को; और तीसरा, प्रत्यर्थी सबलेट नहीं करेगा या

ई सूट हाउस में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार।

10. ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के बयान दर्ज किए और उपरोक्त के संदर्भ में दीवानी मुकदमे का निपटारा किया।

रोमिस ने अपने दिनांकित 01.06.2012 के फैसले के अनुसार जो इस प्रकार हैः

" न्यायिक हस्तक्षेप के साथ, पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। यह सहमति है कि प्रतिवादी

खाली करें और खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को सौंप दें

सूट संपत्ति का, यानी फ्लैट नंबर जी-81, दूसरी मंजिल और

सर्वेंट क्वार्टर नं. जे.-3-62, तीसरी मंजिल, सुजान सिंह पार्क,

नई दिल्ली, जैसा कि साइट योजनाओं में दिखाया गया है, पहले से ही प्रदर्शित किया गया है Ex.PW 1/14 और Ex.PW 1/15, वादी को या उससे पहले

31.05.2016 . प्रतिवादी उपयोगकर्ता को भुगतान करने का भी वचन देता है। Rs.5000/- प्रति की दर से मुक़दमे की संपत्ति के शुल्क

माह डब्ल्यू. ई. एफ. 01.06.2012 वादी को नियमित रूप से तब तक

वादी को वाद संपत्ति सौंपने की तिथि।

प्रतिवादी यह भी वचन देता है कि वह किसी भी तीसरे हिस्से को उपखंडित या सृजित नहीं करेगा।

ब्रिगेडियर के बयान। गुरबक्स सिंह और श्री शशि मोहन कपूर को अलग से रिकॉर्ड किया गया है और उन्हें किया गया है

उनके संबंधित वकील द्वारा पहचाना गया।

सुना पेरूस्ड। माना जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि बयान स्वेच्छा से दिए गए हैं।

और स्वीकार किए जाते हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने से बंधे रहेंगे।

बयान। प्रस्तुतियों के साथ-साथ बयानों को ध्यान में रखते हुए

दोनों पक्षों का मामला एतद्वारा इस प्रकार निपटाया जाता है - समझौता किया।

आदेश की सत्यापित प्रतियां दोनों पक्षों को दी जाएं।

दस्ती, जैसा अनुरोध किया गया था।

औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, फाइल को भेज दिया जाए रिकॉर्ड रूम "।

11. 27.05.2016 पर, प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित धारा 148 के तहत एक आवेदन दायर किया।

(इसके बाद "संहिता") के रूप में संदर्भित किया गया और उसमें सूट हाउस को खाली करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया। चिकित्सा आधार पर सूट हाउस को खाली करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

12. दिनांक 09.06.2016 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन की अनुमति दी और प्रत्यर्थी को 15.07.2016 तक खाली करने का समय दिया।

सूट हाउस। प्रत्यर्थी को बकाया भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था

किराया देते हैं। 13. 15.07.2016 पर सूट हाउस खाली करने के बजाय, प्रतिवादी ने 18.07.2016 पर एक और आवेदन दायर किया और आगे खाली करने के लिए समय मांगा।

सूट हाउस। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा इस आवेदन को खारिज कर दिया और सूट हाउस को खाली करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस आवेदन को खारिज करने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी पर मुकदमा घर को तुरंत खाली करने का कानूनी दायित्व था।

14. चूंकि प्रत्यर्थी वाद गृह को खाली करने में विफल रहा, इसलिए अपीलार्थी को वाद गृह का खाली कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ दिनांकित 01.06.2012 की सहमति डिक्री के निष्पादन के लिए निष्पादन न्यायालय में निष्पादन याचिका (5655/2016) दायर करने के लिए विवश किया गया था। 15. निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा वाद गृह के संबंध में प्रत्यर्थी/निर्णय देनदार के खिलाफ अधिकार का वारंट जारी किया। चूंकि प्रत्यर्थी ने डिक्री के निष्पादन में बाधा डाली, इसलिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से वाद गृह का कब्जा प्राप्त करने के लिए उसे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए निष्पादन न्यायालय में आवेदन किया। इस बीच, निर्णय देनदार की मृत्यु हो गई और वर्तमान प्रतिवादी को मूल किरायेदार के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में छोड़ दिया गया।

16. 18.10.2016 और 23.07.2018 पर, प्रतिवादी ने यहाँ चार आवेदन दायर किए। एक आदेश की समीक्षा के लिए संहिता की धारा 114 और 151 के साथ पठित आदेश 47 के तहत था; दूसरा आदेश 21 नियम 11 (2) और संहिता के 26 के साथ पठित धारा 47 और 151 के तहत था; तीसरा आदेश 47 के तहत संहिता की धारा 114 और 151 के साथ पठित था; और चौथा संहिता की धारा 151 के तहत था। एक आवेदन श्री मनमोहन कपूर द्वारा संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत दायर किया गया था।

शोभा सिंह और उनके बेटे पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

17. ये आवेदन दिनांकित 01.06.2012 की सहमति आदेश की निष्पादन क्षमता को अमान्य होने के रूप में चुनौती देने के लिए दायर किए गए थे। द. प्रतिवादी ने इन आवेदनों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित तीन आधार उठाए।

18. पहला आधार यह था कि अपीलार्थी ने भौतिक तथ्यों को छिपाकर 01.06.2012 दिनांकित सहमति आदेश प्राप्त किया।

19. दिनांक 22.10.2018 के आदेश द्वारा, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी (निर्णय देनदार) द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया। निष्पादन न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी केवल 01.06.2012 दिनांकित सहमति आदेश के निष्पादन से बचने के लिए देरी करने की रणनीति में लिप्त था। निष्पादन न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई प्रत्येक आपत्ति पर विचार किया और उनमें से किसी में भी कोई योग्यता नहीं पाई। निष्पादन न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने वाद गृह को खाली करने के लिए दो बार समय लेने के कारण न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं किया और इसलिए, अपने आवेदनों को खारिज करते हुए और एक श्री मनोमोहन कपूर के आवेदन पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 5 अपीलार्थी को 50 प्रतिशत और दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण को शेष 50 प्रतिशत का भुगतान करने के निर्देश के साथ उनमें से प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 20. प्रतिवादी ने व्यथित महसूस किया और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील दायर की। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.10.2018 के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि विचारण न्यायालय ने 01.06.2012 पर सहमति आदेश पारित करने के बाद औपचारिक डिक्री तैयार नहीं की है, इसलिए अपीलार्थी (डिक्री धारक) द्वारा दायर निष्पादन याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी (डिक्री धारक) को दिनांक 01.06.2012 के सहमति आदेश के संदर्भ में डिक्री तैयार करने के लिए संहिता की धारा 152 के तहत ट्रायल कोर्ट में आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अपीलार्थी (डिक्री धारक) ने उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. इसलिए, इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को अनुमति देने में न्यायसंगत था

प्रत्यर्थी की (निर्णय देनदार की) अपील और इस प्रकार यह अभिनिर्धारित करने में उचित था कि अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन याचिका (5655/2016) दिनांकित 01.06.2012 आदेश पारित करने के बाद न्यायालय द्वारा औपचारिक डिक्री तैयार नहीं किए जाने के कारण बनाए रखने योग्य नहीं थी।

23. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने, विवादित आदेश को दरकिनार करने और निचली अदालत के आदेश को बहाल करने के लिए इच्छुक हैं। जैसा कि नीचे बताया गया है, संशोधन के साथ।

24. हमारी राय में, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि औपचारिक डिक्री तैयार नहीं किए जाने या/और दायर नहीं किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी (डिक्री धारक) को दिनांकित सहमति आदेश के बल पर निष्पादन याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष, हमारे विचार में, नीचे दिए गए कारणों के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

25. इस मामले में आदेश 20 नियम 6, आदेश 20 नियम 6ए, आदेश 20 नियम 7, आदेश 21 नियमों के आलोक में निर्णय लेने की आवश्यकता है।

11 (2) & (3) और संहिता का आदेश 23 नियम 3। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

" आदेश 20 नियम 6

फरमान की सामग्री। (1) डिक्री निर्णय से सहमत होगी; इसमें मुकदमे की संख्या, पक्षों के नाम और विवरण, उनके पंजीकृत पते और दावे के विवरण शामिल होंगे, और स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेंगे

प्रदान की गई राहत या मुकदमे का अन्य निर्धारण।

(2) डिक्री में मुकदमे में की गई लागत की राशि और किसके द्वारा या किस संपत्ति से और किस अनुपात में ऐसी लागतों का भुगतान किया जाना है, यह भी बताया जाएगा। (3) न्यायालय निर्देश दे सकता है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय लागत किसी भी राशि के विरुद्ध निर्धारित की जाएगी जो

पूर्व से उत्तरार्द्ध तक स्वीकार किया गया या देय पाया गया।

भा सिंह और बेटे पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

आदेश 20 नियम 6 ए

फरमान की तैयारी। (1) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि डिक्री जल्द से जल्द तैयार की जाए।

(2) बिना डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है। डिक्री की एक प्रति दाखिल करना और ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा पक्ष को उपलब्ध कराई गई प्रति, इन उद्देश्यों के लिए होगी

आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 1 को डिक्री माना जाए। लेकिन जैसे ही डिक्री तैयार की जाती है, निर्णय का निष्पादन के उद्देश्यों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए डिक्री का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

आदेश 20 नियम 7

डिक्री की तारीख-डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन फैसला सुनाया गया था, और जब न्यायाधीश खुद को संतुष्ट कर लेगा कि डिक्री फैसले के अनुसार तैयार की गई है, तो वह डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा।

आदेश 21 नियम 11 (2)

(घ) क्या डिक्री में से कोई अपील की गई है; (ई) क्या विवादग्रस्त मामले में कोई और (यदि कोई हो) क्या भुगतान या अन्य समायोजन पक्षकारों के बीच बाद में डिक्री के लिए किया गया है;

(च) क्या कोई, और (यदि कोई हो) क्या, डिक्री के निष्पादन के लिए पिछले आवेदन किए गए हैं, ऐसे आवेदन और उनके परिणाम; [2019] 9 एस. सी. आर

(छ) डिक्री पर देय ब्याज (यदि कोई हो) के साथ राशि, या इसके द्वारा दी गई अन्य राहत, किसी भी क्रॉस-डिक्री के विवरण के साथ, चाहे वह तारीख से पहले या बाद में पारित की गई हो। डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई;

(ज) दी गई लागत (यदि कोई हो) की राशि;

((i) उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन माँगा गया है; और

(जे) वह तरीका जिसमें न्यायालय की सहायता की आवश्यकता होती है -

((i) किसी विशेष रूप से घोषित संपत्ति के वितरण द्वारा;

[((ख) किसी संपत्ति की कुर्की द्वारा, या कुर्की और बिक्री द्वारा, या बिना कुर्की के बिक्री द्वारा;

((ग) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और जेल में नजरबंदी द्वारा;

(v) अन्यथा, जैसा कि दी गई राहत की प्रकृति हो सकती है आवश्यकता है।

आदेश 21 नियम 11 (3)

जिस न्यायालय में उप-नियम (2) के तहत आवेदन किया जाता है, वह आवेदक से डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

आदेश 23 नियम 3

वाद का समझौता-जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि किसी वाद को पूरी तरह या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है। पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा या जहां प्रतिवादी संतुष्ट करता है

वाद के पूरे या विषय वस्तु के किसी भी भाग के संबंध में वादी, न्यायालय ऐसे समझौते, समझौता संतुष्टि को दर्ज करने का आदेश देगा, और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा जहां तक यह मुकदमे के पक्षों से संबंधित है, चाहे समझौते का विषय, समझौता या संतुष्टि मुकदमे के विषय के समान हो या नहीं। ”

शोभा सिंह और उनके बेटे पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

26. संहिता का आदेश 20 नियम 6 डिक्री की सामग्री से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि डिक्री निर्णय से सहमत होगी, इसमें मुकदमे की संख्या, पक्षों के नाम और विवरण, उनके पंजीकृत पते और दावे के विवरण, दी गई राहत या मुकदमे में किया गया कोई अन्य निर्धारण, मुकदमे में की गई लागत की राशि, और किसके द्वारा या किस संपत्ति से और किस अनुपात में, भुगतान की जाने वाली लागत शामिल होगी। नियम 6 ए डिक्री तैयार करने से संबंधित है। वह कहता है कि हर

यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि डिक्री इस प्रकार तैयार की गई है जितनी जल्दी हो सके और, किसी भी मामले में, पंद्रह दिनों के भीतर

जिस तारीख को फैसला सुनाया जाता है। संहिता के आदेश 20 के नियम 6 ए (2) में कहा गया है कि डिक्री की प्रति दाखिल किए बिना डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है और ऐसे मामले में अदालत द्वारा पक्षकार को उपलब्ध कराई गई प्रति को आदेश 41 के नियम 1 के प्रयोजनों के लिए डिक्री माना जाएगा, लेकिन जैसे ही डिक्री तैयार की जाती है, निर्णय का निष्पादन के उद्देश्यों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए डिक्री का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

27. हमारी सुविचारित राय में, हालांकि संहिता के आदेश 20 का नियम 6 ए (2) की प्रति संलग्न किए बिना अपील दायर करने से संबंधित है। निर्णय के साथ डिक्री और आगे डिक्री तैयार नहीं करने का परिणाम प्रदान करता है, हमारी राय में, नियम 6 ए (2) में रेखांकित सिद्धांत को संहिता के आदेश 21 नियम 2 के तहत निष्पादन आवेदन दाखिल करने के लिए भी लागू किया जा सकता है।

28. आदेश 20 नियम 7 डिक्री की तारीख से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन फैसला सुनाया गया था।

और जब न्यायाधीश स्वयं को संतुष्ट कर लेता है कि डिक्री निर्णय के अनुसार तैयार की गई है, तो वह डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा।

29. संहिता का आदेश 21 नियम 11 (2), जो डिक्री के निष्पादन से संबंधित है, प्रदान करता है कि डिक्री धारक को केवल देने की आवश्यकता है

30. इसी तरह, संहिता के आदेश 21 नियम 11 (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय डिक्री धारक से एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की "आवश्यकता" कर सकता है। आदेश का। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि एक प्रति दाखिल करना आवश्यक नहीं है।

निष्पादन आवेदन के साथ डिक्री की जब तक कि अदालत डिक्री धारक को डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करने का निर्देश नहीं देती है।

19] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. अतः, उपरोक्त चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि जब भी डिक्री धारक निष्पादन के लिए आवेदन दायर करता है कोई भी डिक्री, उसे तीन चीजों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

32. सबसे पहले, संहिता के आदेश 21 नियम 10 और 11 (2) के तहत दायर लिखित आवेदन पर आवेदक या मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना चाहिए।

न्यायालय की संतुष्टि; दूसरा, आवेदन में वे विवरण होने चाहिए, जो संहिता के नियम 11 (2) के खंड (ए) से खंड (जे) में निर्दिष्ट हैं, जिसमें निर्णय और डिक्री की तारीख का उल्लेख शामिल है; और तीसरा, डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल करना, यदि न्यायालय की आवश्यकता है -

डिक्री धारक संहिता के आदेश 21 नियम 11 (3) के तहत इसे दाखिल करेगा। 33. यह हमें अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह किए गए अगले बिंदु से निपटने के लिए ले जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, दिनांकित 01.06.2012 स्वयं संहिता की धारा 36 के आधार पर निष्पादित होने में सक्षम है और इसलिए, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि डिक्री तैयार करने की आवश्यकता थी।

35. पहला, संहिता के आदेश 23 नियम 3 की भाषा विद्वान वरिष्ठ द्वारा आग्रह किए गए प्रकृति के आदेश को पारित करने को स्वीकार नहीं करती है। अपीलार्थी के लिए वकील; दूसरा, यह अभिव्यक्ति "न्यायालय ऐसे समझौते, समझौते या संतुष्टि को दर्ज करने का आदेश देगा और एक

संहिता के आदेश 23 नियम 3 में स्पष्ट रूप से होने वाली डिक्री से पता चलता है कि समझौते को दर्ज करने के बाद उसके अनुसार एक डिक्री पारित करना आवश्यक है।

36. दूसरे शब्दों में, "और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा" अभिव्यक्ति एक स्पष्ट संकेत है कि समझौते के बाद है

न्यायालय द्वारा अभिलिखित, यह "एक डिक्री पारित करने" के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए, नियम विचार करता है, पहले समझौते की एक ऑर्डर रिकॉर्डिंग और फिर

साथ ही आदेश के अनुसार एक डिक्री पारित करें।

37. संहिता के आदेश 23 नियम 3 की स्पष्ट भाषा के आलोक में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति को स्वीकार करना संभव नहीं है कि 01.06.2012 दिनांकित आदेश स्वयं एक सोभा सिंह और सन्स पी. वी. टी. के बराबर है।

लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

डिक्री और इसलिए, न्यायालय के लिए डिक्री पारित करना आवश्यक नहीं है। यदि यह इरादा होता, तो विधायिका "और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगी" शब्द का उपयोग नहीं करती।

23 संहिता का नियम 3। 38. यह हमें अगले प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर निर्णय नहीं लिया गया है।

39. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों को रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया। 5 जो लाखों में

जिसके परिणामस्वरूप सूट हाउस के कब्जे का वारंट जारी किया गया। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा निष्पादन न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और निष्पादन आवेदन को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने तब इस प्रश्न की जाँच करना आवश्यक नहीं समझा कि क्या निष्पादन न्यायालय प्रतिवादी के आवेदनों को अस्वीकार करने में सही था। 40. इसलिए, हमने निष्पादन न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया है। इसे देखने के बाद, हमारा विचार है कि निष्पादन

न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा अपने आवेदनों में उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करने में सही था और इसलिए, निष्पादन न्यायालय के उन निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाता है। 41. हमारे विचार में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियां तुच्छ थीं और केवल निष्पादन से बचने की दृष्टि से उठाई गई थीं

समझौता डिक्री। सहमति आदेश पारित होने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सका। किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों में से किसी में भी गुण-दोष के आधार पर कोई सार नहीं था और इसलिए, निष्पादन न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था, जिससे हम सहमत हैं। हमारे विचार में, प्रत्यर्थी ने वाद गृह को खाली करने के लिए दो बार समय लिया और फिर भी दिए गए वचन का पालन नहीं किया, यह न्यायालय प्रत्यर्थी के ऐसे आचरण को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह निंदनीय है।

42. यह हमें अगले प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है, अर्थात्, निष्पादन के साथ डिक्री की प्रति दाखिल नहीं करने का क्या प्रभाव पड़ता है। अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन। हमारे विचार में, भले ही अपीलार्थी ने निष्पादन आवेदन के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रति इस कारण से दाखिल नहीं की कि उसे न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया था, फिर भी अपीलार्थी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन, हमारे विचार में, बनाए रखने योग्य था। वास्तव में, जब तक औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया था, तब तक

दिनांकित 01.06.2012 आदेश को संहिता के आदेश 20 नियम 6A (2) के आधार पर अंतराल अवधि के दौरान एक डिक्री के रूप में माना जाना था। में। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य के बावजूद कि डिक्री पारित नहीं की गई थी, फिर भी संहिता के आदेश 20 नियम 6 ए (2) में रेखांकित सिद्धांत के आधार पर, दिनांकित आदेश निष्पादन के उद्देश्यों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए न्यायालय द्वारा डिक्री के वास्तविक पारित होने की तारीख तक एक डिक्री का प्रभाव था। इसने निष्पादन न्यायालय को निष्पादन आवेदन पर विचार करने और प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को गुण-दोष के आधार पर तय करने का अधिकार दिया।

43. यह हमें अंतिम बिंदु की जांच करने के लिए ले जाता है कि क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थी को धारा 152 के तहत आवेदन करने का निर्देश देने में उचित था।

डिक्री बनाने के लिए संहिता।

44. हमारी राय में, हालांकि उच्च न्यायालय अपीलार्थी को डिक्री बनाने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का निर्देश देने में सही था, लेकिन नहीं था

संहिता की धारा 152 के तहत आवेदन करने का निर्देश देने का अधिकार।

45. संहिता की धारा 152 निर्णयों, फरमानों या आदेशों के संशोधन से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि निर्णयों, फरमानों या आदेशों में किसी भी लिपिक या अंकगणितीय गलतियों या किसी भी आकस्मिक पर्ची या चूक से उत्पन्न त्रुटियों को न्यायालय द्वारा किसी भी समय अपने स्वयं के प्रस्ताव या किसी भी पक्ष के आवेदन पर ठीक किया जा सकता है। आदेश 20 नियम 3 में यह भी प्रावधान है कि निर्णय को धारा 152 के तहत या समीक्षा में बदला या जोड़ा जा सकता है। 46. हमारी राय में, संहिता की धारा 152 के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए, दो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। पहला, एक निर्णय या डिक्री या एक आदेश होना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और दूसरा, निर्णय या डिक्री या आदेश, जैसा भी मामला हो, में इसके सुधार के लिए कोई लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, संहिता की धारा 152 में विचार किया गया है कि न्यायालय ने निर्णय, डिक्री या आदेश पारित किया है और इसमें लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि है।

47. यथास्थिति, ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के किसी भी पक्ष को, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी भी अंकगणितीय या लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए संबंधित न्यायालय में संहिता की धारा 152 के तहत किसी भी समय आवेदन करने का अधिकार है। 48. हाथ में मामले में, हम पाते हैं कि अदालत, जिसने मुकदमे का निपटारा किया, ने डिक्री नहीं निकाली, बल्कि केवल आदेश पारित किया। ऐसे में

इस स्थिति में, डिक्री धारक को शोभा सिंह और सन्स पी. वी. टी. के तहत आवेदन दायर करने की आवश्यकता थी।

लिमिटेड। वी. शशि मोहन कपूर (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआर. [अभय मनोहर सप्रे, जे।]

न्यायालय के लिए संहिता के आदेश 20 नियम 6 ए के साथ पठित धारा 151

दिनांकित 01.06.2012 आदेश के अनुसार एक डिक्री तैयार करना। वास्तव में, हम दिनांकित 01.06.2018 आदेश के समापन पैरा में पाते हैं कि न्यायालय ने पहले ही औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के लिए यह उचित होता कि वह आदेश 20 नियम 6 ए में दिए गए 15 दिनों के भीतर उसी दिन या किसी भी स्थिति में एक साथ डिक्री जारी करे।

49. जो भी हो, यह एक प्रक्रियात्मक मामला होने के कारण, भले ही यह नहीं किया गया था, फिर भी न्यायालय द्वारा ऐसा ही किया जा सकता था

अपीलार्थी (डिक्री धारक) निष्पादन आवेदन दाखिल करने के बाद डिक्री तैयार करने के लिए आवेदन करता है।

50. यह हमें अंतिम प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है कि क्या निष्पादन न्यायालय ने 5 लाख रुपये की लागत लगाने में सही था।

प्रत्यर्थी अपने विरुद्ध डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए उसमें तुच्छ आपत्तियां उठाते हुए आवेदन दायर करने के लिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निष्पादन न्यायालय ने प्रत्यर्थी की आपत्ति को खारिज करते हुए प्रत्यर्थी पर 5 लाख रुपये की प्रतिपूरक लागत लगाई। हमारे विचार में, हालांकि हम पाते हैं कि यह लागत लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला है, लेकिन 5 लाख रुपये की लागत लगाना अत्यधिक है।

51. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन पर हमने ऊपर चर्चा की है, हम इसे लागू करना उचित और उचित मानते हैं रुपये की प्रतिपूरक लागत। 50,000 / - संहिता की धारा 35 ए के तहत प्रत्यर्थी पर। इस आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को इसका भुगतान किया जाए।

52. इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि निष्पादन याचिका स्वयं नहीं है।

निष्पादन न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करके अनुमति दी गई, सिवाय ऊपर बताए गए दो संशोधनों के। 54. अपीलार्थी को संहिता के आदेश 20 नियम 6 (ए) के साथ पठित धारा 151 के तहत [2019] 9 एस. सी. आर. में आवेदन करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

संहिता के आदेश 23 नियम 3 के तहत पारित दिनांकित 01.06.2012 आदेश के अनुसार एक डिक्री पारित करने के लिए अनुरोध के साथ संबंधित न्यायालय। इस मामले की विशिष्ट परिस्थिति में, हम उम्मीद करेंगे कि संबंधित न्यायालय बिना किसी देरी के और किसी भी मामले में, अपीलार्थी द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने के एक सप्ताह के भीतर डिक्री पारित करेगा और तैयार करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डिक्री को पारित करने और तैयार करने का ऐसा कार्य औपचारिक प्रकृति का होने के कारण, उस संबंध में कोई आपत्ति या विवाद किसी भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जब डिक्री तैयार हो जाती है और आदेश 21 नियम 11 (2) (सी) के तहत प्रदान किए गए निष्पादन आवेदन में इसका विवरण निर्दिष्ट किया जाता है और डिक्री की प्रमाणित प्रति दायर की जाती है, यदि अदालत द्वारा आदेश 21 नियम 11 (3) के संदर्भ में, संहिता के आदेश 21 नियम 11 (3) के संदर्भ में, लागत राशि के भुगतान के संबंध में उपरोक्त संशोधन के साथ निष्पादन न्यायालय का आदेश प्रतिवादी के खिलाफ प्रभावी हो जाएगा।

55. उपरोक्त प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों को पूरा होने दें।

संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर। हालाँकि, प्रतिवादी को संबंधित न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वाद गृह को खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है।

56. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाता है जबकि निष्पादन न्यायालय के आदेश को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे